

## बहु-राज्य सहकारी समितियाँ

### प्रलिस के लयः

बहुराज्यीय सहकारता, संवधान (97वाँ संशोधन) अधनलयम, 2011, सहकारता से संबधत संवधानकल प्रावधान ।

### मेन्स के लयः

बहु-राज्य सहकारी समतल (MSCS) अधनलयम, 2002 में कमयलँ ।

## चरचा में कयलँ?

केंद्रीय मंत्रमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समतल (MSCS) संशोधन वधलयक, 2022 को मंजूरी दे दी है, जसलका उद्देश्य बहु-राज्य सहकारी समतल अधनलयम, 2002 में संशोधन करना है ।

- सहकारता क्षेत्र के वकलस को नए सरल से गतलपूरदान करने के उद्देश्य से जुलाई 2021 में सहकारता मंत्रालय का गठन कयल गया था ।

## वधलयक में प्रसूतावतल संशोधनः

- यह संशोधन वयवसाय करने में आसानी, अधकल पारदरशतल और शासन को बढ़ाने का प्रयास करते है ।
- इसमें बहु-राज्य सहकारी समतलयल के बोरड में महललाओं और अनुसूचतल जातल/अनुसूचतल जनजातल के सदसयल के प्रतनलधतलव से संबधतल प्रावधान शामिल हैं ।
- ये संशोधन चुनावी प्रकरयल में सुधार, नगरलनी तंत्र को मज़बूत करने और जवाबदेही बढ़ाने के लयल लाए गए हैं ।
- यह बहु-राज्य सहकारी समतलयल को धन जुटाने में सकृषम बनाने के अलावा बोरड की संरचना का वसूतार करेगा और वततलय अनुशासन सुनशूचतल करेगा ।
- बहु-राज्य सहकारी समतलयल के शासन में सुधार के लयल वधलयक में सहकारी चुनाव प्राधकलरण, सहकारी सूचना अधकलरी और सहकारी लोकपाल की स्थापना के लयल वशलषलट प्रावधान हैं ।
- बहु-राज्य सहकारी समतलयल को धन जुटाने में मदद करने के लयल गैर मतदान शेर जरल करने का भी प्रावधान होगा ।
- इसके अलावा नव प्रसूतावतल पुनरवास, पुनरनरलमाण और वकलस कृष मण सहकारी समतलयल को पुनरजीवतल करने में मदद करेगा ।
- वधलयक में 97वें संवधान संशोधन के प्रावधान शामिल हलंगे ।
- इसके अलावा ववलकपूरण मानदंडों को नरूधरतल करने का प्रावधान वततलय अनुशासन लाएगा । ऑडलतल गल तंत्र से संबधतल संशोधन अधकल जवाबदेही सुनशूचतल करेगे ।

## MSCS अधनलयम, 2002:

- परचयः
  - बहु-राज्य सहकारी समतलयलः हाललँकल सहकारता राज्य का वषलय है, फरल भी कई समतलयल हैं जैसे कल चीनी और दूध, बैंक, दूध संघ आदल जनलके सदसय तथा संचालन के क्षेत्र एक से अधकल राजयल में फैले हुए हैं ।
    - उदाहरण के लयल, कर्नाटक-महाराषू्टर सीमा क्षेत्र के जलललं की अधकलंश चीनी मललं दोनों राजयल से गनूना खरीदती हैं ।
    - महाराषू्टर में ऐसी सहकारी समतलयल की संख्या सबसे अधकल (567) है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (147) और नई दललली (133) का स्थान है ।
    - ऐसी सहकारी समतलयल को संचालतल करने के लयल MSCS अधनलयम पारतल कयल गया था ।
  - कानूनी क्षेत्राधकलरः इनके नदलशक मंडल में उन सभी राजयल का प्रतनलधतलव होता है जनलमें वे कार्य करते हैं ।
    - इन समतलयल का प्रशासनकल और वततलय नयलंत्रण केंद्रीय रजसूू्टरार के पास है एवं कानून यह स्पूषू्ट करता है कलशलज्य सरकार का कोई भी अधकलरी उन पर नयलंत्रण नहीं रख सकता है ।
    - केंद्रीय रजसूू्टरार का वशलष नयलंत्रण राज्य के अधकलरयल के हसूूतकृष के बना इन समतलयल के सुचारू संचालन की

अनुमति देने के लिये था।

■ **संबंध चर्चाएँ:**

- **नियंत्रण और संतुलन की कमी:** जबकि राज्य-पंजीकृत समितियों की प्रणाली की प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये कई स्तरों पर **जाँच और संतुलन** शामिल है।
  - केंद्रीय रजिस्ट्रार **केवल विशेष परिस्थितियों में ही समितियों** के नरीक्षण की अनुमति दे सकता है।
  - इसके अलावा, नरीक्षण समितियों को पूर्व सूचना के बाद ही कार्यान्वयन किया जा सकता है।
- **केंद्रीय रजिस्ट्रार का कमजोर संस्थागत ढाँचा:** केंद्रीय रजिस्ट्रार के लिये बुनियादी ढाँचे का अभाव है, **राज्य स्तर पर कोई अधिकारी या कार्यालय नहीं** है, ज़्यादातर काम या तो ऑनलाइन या पत्राचार के माध्यम से किया जाता है।
  - इससे शिकायत नविवरण तंत्र बेहद कमजोर हो गया है।
  - इसके कारण कई उदाहरण सामने आए हैं जब क्रेडिट सोसाइटियों ने इन खामियों का फायदा उठाते हुए पॉजी योजनाओं की शुरुआत की है।

## भारत में सहकारिता:

■ **परिभाषा:**

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (The International Cooperative Alliance-ICA) **सहकारी समिति** को "संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ज़रूरतों तथा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के स्वायत्त संघ" के रूप में परिभाषित करता है।
  - **भारत में सफल सहकारी समितियों के उदाहरण:**
    - **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED),**
    - **भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO)**
    - **अमूल**

■ **संवैधानिक प्रावधान:**

- **संवैधानिक (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011** ने भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में एक **नया भाग IX B** जोड़ा।
  - संवैधानिक के **भाग III** के तहत **अनुच्छेद 19(1)(c)** में "**संघों और संघटनों**" के रूप में "**सहकारिता**" शब्द जोड़ा गया था।
    - यह सभी नागरिकों को **मौलिक अधिकार** का दर्जा देकर सहकारी समितियों के गठन में सक्षम बनाता है।
  - (भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था।

■ **सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:**

- जुलाई 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने **97वें संशोधन अधिनियम, 2011 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया था।**
  - सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, भाग IX B (अनुच्छेद 243ZH से 243ZT) ने अपने सहकारी क्षेत्र पर राज्य विधानसभाओं की 'अनन्य विधायी शक्ति' को 'महत्त्वपूर्ण और पर्याप्त रूप से प्रभावित' किया है।
  - साथ ही 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किये बिना संसद द्वारा पारित किया गया था।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्यों के पास विशेष रूप से उनके लिये आरक्षण विधियों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है (सहकारिता राज्य सूची का एक हिस्सा है)।
    - 97वें संवैधानिक संशोधन के लिये अनुच्छेद 368(2) के तहत कम-से-कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
    - चूँकि 97वें संवैधानिक संशोधन के मामले में अनुसमर्थन नहीं किया गया था, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया।
    - इसने भाग IX B के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा, जो 'बहु-राज्य सहकारी समितियों' (MSCS) से संबंधित हैं।
    - इसने कहा कि 'बहु-राज्य सहकारी समितियों' का विषय केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विधायी शक्ति भारत संघ की होगी।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

**प्रश्न.** अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण के अनुसार, "गाँवों में सहकारी समितियों के अलावा कोई भी ऋण संगठन उपयुक्त नहीं होगा"। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिये। कृषि वित्त की आपूर्ति करने वाले वित्तीय संस्थानों को कनि बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण ग्राहकों तक बेहतर पहुँच एवं सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? (200 शब्द) (2014)

**स्रोत: द हिंदू**